बिहार विधान-सभा
की
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
कल्याण समिति
1980-81
का
चौदहवां प्रतिवेदन

"बिहार राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम मर्यादित"
(रांची में नियुक्ति एवं प्रोन्नति तथा निगम के
कार्य कलापों के सम्बन्ध में)

बिहार विधान-सभा सचिवालय
कल्याण समिति शाखा
पटना
1982 ई०

सदन में उपस्थापित करने की तिथि.....

विषय-सूची।

पृष्ठ।

प्रस्तावना।

समिति का गठन 1-2

विषय का उपस्थापन 3-4

प्रतिवेदन .. .. .. 5—10

सिफारिशों का सारांश 11-12

परिशिष्ट—

(1) बिहार राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लि०, रांची के कार्यरत पदाधिकारियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में प्रतिनिधित्व। 13-14

(2) राज्य स्तर से भिन्न क्षेत्रीय एवं जिलों में होने वाली नियुक्तियों का आरक्षित प्रतिशत। 15-16

प्रस्तावना

बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति के सभापति की हैसियत से मैं समिति का चौदहवां प्रतिवेदन जो बिहार राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, रांची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित-जन-जाति के लोगों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण एवं कार्यकलाप से संबंधित विषय पर है, उपस्थापित करता हूं ।

बिहार राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम के प्रबंध निदेशक ने निगम के 1969 से मई, 1981 तक की स्थिति का विवरण दिया है, जिसके अवलोकन के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की उप-समिति (3) ने उक्त विवरण पर निगम के प्रबंध निदेशक से विचार-विमर्श किया है ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की उप-समिति (3) ने दिनांक 20 मार्च 1982 की बैठक में इस प्रतिवेदन को स्वीकृत किया तथा मुख्य समिति ने दिनांक 22 मार्च 1982 की बैठक में इसे अनुमोदित किया ।

विधान-सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा निगम के प्रबंध निदेशक को समिति धन्यवाद देती है, जिन्होंने इस प्रतिवेदन को तैयार करने में सहयोग किया है ।

एस० के० वागे,
सभापति,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति
कल्याण समिति।

पटना,
दिनांक 22 मार्च 1982 ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की मुख्य समिति (1980—82) का गठन ।

क्रम सं० ।	सदस्य का नाम ।
1	श्री एस० के बागे, स० वि० स०—सभापति ।
	सदस्यगण ।
2	श्री बनवारी राम, स० वि० स० ।
3	श्री मुनी सिंह, स० वि० स० ।
4	श्री विश्वनाथ ऋषि, स० वि० स० ।
5	श्री जॉन हेम्ब्रम, स० वि० स० ।
6	श्री जवाहर प्रसाद सिंह, स० वि० स० ।
7	श्री अवध बिहारी सिंह, स० वि० स० ।
8	श्री महेश राम, स० वि० स० ।
9	श्री संजीव कुमार टॉनी, स० वि० स० ।
10	श्री विजय नारायण भारती, स० वि० स० ।
11	श्री नवल किशोर भारती, स० वि० स० ।
12	श्रीमती मुक्तिदानी सुम्बरुई, स० वि० स०—सदस्या ।
	सदस्यगण ।
13	श्री टीकाराम मांझी, स० वि० स० ।
14	श्री जगीश चौधरी, स० वि० स० ।
15	श्री राम लखन राम "रमण", स० वि० स० ।
16	श्री देवीपद उपाध्याय, स० वि० स० ।
17	श्री सूर्यदेव सिंह, स० वि० स० ।
18	श्री हारू रजवार, स० वि० स० ।
19	श्री करिया मुंडा, स० वि० प० ।
20	श्री दुती पाहन, स० वि० प० ।
21	श्री सामुचरण तुविद, स० वि० प० ।
22	श्री बुद्धराम भगत, स० वि० प० ।
23	श्री अम्बिका प्रसाद, स० वि० प० ।
24	श्री इन्द्र कुमार, स० वि० प० ।
25	श्री परमेश्वर, स० वि० प० ।
26	सुश्री राजेश्वरी सरोज दास, स० वि० प०—सदस्या ।
27	रिक्त ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की उप-समिति के सदस्यगण (1980-81)।

क्रम संख्या। सदस्य का नाम।

1 श्री सुशील कुमार बागे, स० वि० स०—सभापति।
2 श्री महेश राम, स० वि० स०—संयोजक।

सदस्यगण।

3 श्री देवीपद उपाध्याय, स० वि० स०।
4 श्री अवध बिहारी सिंह, स० वि० स०।
5 श्री दुतो पाहन, स० वि० प०।
6 श्री जवाहर प्रसाद सिंह, स० वि० स०।
7 श्री सूर्यदेव सिंह, स० वि० स०।
8 श्री मुनी सिंह, स० वि० स०।
9 श्री हारू रजवार, स० वि० स०।

बिहार विधान-सभा सचिवालय।

1 सचिव श्री राम नरेश ठाकुर।
2 अवर-सचिव श्री अर्जुन प्रसाद।
3 अवर-सचिव श्री शिव प्रसाद शाह।
4 प्रशाखा पदाधिकारी श्री ब्रह्मदेव नारायण सिंह।
5 प्रभारी सहायक श्री इन्दिरा रमण उपाध्याय।
6 प्रभारी श्री श्याम देव चौधरी।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की उप-समिति (3) के सदस्यगण (1981-82)।

1 श्री महेश राम, स० वि० स०—संयोजक।

सदस्यगण।

2 श्री देवीपद उपाध्याय, स० वि० स०।
3 श्री अवध बिहारी सिंह, स० वि० स०।
4 श्री बुद्ध राम भगत, स० वि० स०।
5 श्री जवाहर प्रसाद सिंह, स० वि० स०।
6 श्री सूर्यदेव सिंह, स० वि० स०।
7 श्री परमेश्वर, स० वि० स०।
8 श्री हारू रजवार, स०वि० स०।

खंड 1

विषय का उपस्थापन

सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जन-जाति के प्रतिनिधित्व के लिये विशेष उपबन्ध ।

संवैधानिक उपबन्ध ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) एवं 335 के आलोक में राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व के लिये विशेष उपबन्ध किया है । अनुच्छेद 16(4) एवं 335 इस उद्धृत हैं :—

> " 16(4). इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य के पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिए उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।"

> "335. संघ या राज्य के कार्यों से संयुक्त सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्य पद्धति बनाये रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायेगा ।"

संविधान द्वारा प्रदत्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को सरकारी और अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग के पत्रांक 9908, दिनांक 13 नवम्बर 1953 के द्वारा 1951 की जनगणना के आधार पर जिन सेवाओं में और जिन पदों पर राज्य स्तर पर सीधी भरती द्वारा नियुक्ति की जाती है उनमें अनुसूचित जाति के लिए रिक्ति का 12½ प्रतिशत तथा अनुसूचित जन-जाति के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित किया था । बाद की जन गणना के आधार पर राज्य स्तर पर सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत 12½ प्रतिशत से बढ़ा कर 14 प्रतिशत कर दिया गया और जन-जाति के लिए पूर्ववत् ही 10 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहा । यह आदेश तिथि 21 नवम्बर 1970 में निर्गत हुआ और यह उसी समय से लागू है ।

राज्य सरकार द्वारा या उनके अधीनस्थ किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण राज्य में हो, की गई सभी नियुक्तियां राज्य स्तर पर की गई नियुक्तियां होती हैं ।

क्षेत्रीय या स्थानीय संवर्गों, स्थापनाओं और कार्यालयों की ऐसी रिक्तियां जिनमें राज्य सरकार के केवल क्षेत्रीय या स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी अधीनस्थ पदाधिकारी (जैसे प्रमंडल आयुक्त, जिला दंडाधिकारी और पुलिस अधीक्षक) द्वारा नियुक्ति की जाती हो, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए विशेष रूप (परिशिष्ट 2) से आरक्षित रखी गयी हैं । किन्तु लोक-सेवाओं में गुणवत्ता बनाए रखने की आवश्यकता पर विचार करते हुए ऐसा आरक्षण जिला स्तर से नीचे नहीं लागू होता है ।

प्रमंडलों और जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की आरक्षित रिक्तियों का प्रतिशत प्रत्येक जिला में ऐसी जातियों की जनगणना के आधार पर अलग-अलग निश्चित किया गया है ।

खंड 2

प्रतिवेदन

1. बिहार राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लि०, रांची, बिहार सरकार की एक जन-उपक्रम है जो 1969 से कार्यरत है। यहां राज्य सरकार के निदेशों का अनुपालन होता है अर्थात् राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिये सेवाओं और पदों में आरक्षण का जो निदेश दिया है उसके आधार पर ऐसी जातियों को वहां प्रतिनिधित्व मिलना है। निगम के प्रबन्ध निदेशक ने अनसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की मांग पर जो विवरण दिया है उसे उक्त नियम के संदर्भ में देखना है। बिहार राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लि०, रांची के श्रेणी (1) में एक पद प्रबन्ध निदेशक का सृजित है। यह पद राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति से भरा जाता है। अब तक निगम में 9 प्रबन्ध निदेशक प्रतिनियुक्त हुए हैं, जिनमें चार प्रबन्ध निदेशक अनुसूचित जन-जाति के प्रतिनियुक्त रहे हैं।

2. निगम की श्रेणी (2) में निगम की शाखा के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी तथा निगम के सचिव के पद आते हैं। श्रेणी (2) के सभी पदों पर पदस्थापन प्रतिनियुक्ति के आधार पर अब तक होती रही है। इस श्रेणी में निगम में पांच पद सृजित हैं, जिनमें फिलहाल दो अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जाति के पदाधिकारी पदस्थापित हैं तथा दो पद सम्प्रति रिक्त हैं। उक्त पदों पर अनुसूचित जन-जाति 67 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति 33 प्रतिशत हैं।

3. श्रेणी (3) में कुल 43 पद सृजित हैं, जिनमें अनुसूचित जन-जाति 7, अनुसूचित जाति 1 एवं अन्य 8 हैं। अभी 43 पदों के विरुद्ध 16 व्यक्ति पदस्थापित हैं। फिलहाल श्रेणी (3) में अनुसूचित जन-जाति 44 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति 6 प्रतिशत तथा अन्य 50 प्रतिशत हैं।

4. श्रेणी (4) के 19 पद सृजित हैं जिनमें अनुसूचित जन-जाति के 10, अनुसूचित जाति के 1 एवं अन्य 4 हैं। अभी 19 पदों के विरुद्ध 15 व्यक्ति पदस्थापित हैं और 4 पद फिलहाल रिक्त हैं। उक्त पदों पर नियुक्ति निगम द्वारा की जाती है। श्रेणी (4) में अनुसूचित जन-जाति 66.5 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 7 प्रतिशत तथा अन्य 26.5 प्रतिशत हैं।

इस तरह निगम में कुल 68 पद स्वीकृत हैं, जिनमें अनुसूचित जन-जाति के 19, अनुसूचित जाति के 3, तथा अन्य 13 कुल 35 व्यक्ति पदस्थापित हैं। अभी 33 पद रिक्त हैं।

5. निगम की श्रेणी (1) एवं (2) के पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं और श्रेणी (2) के पद अभी रिक्त हैं। उसमें पूरा प्रतिशत दिया गया है।

समिति का मन्तव्य है कि श्रेणी (2) के शेष दो रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति की प्रतिनियुक्ति की मांग निगम द्वारा सरकार से की जाय। इससे आदिवासी सहकारी विकास निगम को आदिवासियों के हित में उनसे सम्पर्क स्थापित कर कल्याण कार्य करने में सुविधा होगी और आदिवासी को भी निगम में आस्था होगी।

6. श्रेणी (3) एवं (4) में प्रतिशत के अनुपात से नियुक्ति उचित प्रतीत होती है। निगम की श्रेणी (3) में 27 पद और श्रेणी (4) में 4 पद अभी तक रिक्त हैं। समिति का मन्तव्य है कि उक्त रिक्तियों को भरने की कार्रवाई की जाय। साथ ही साथ निगम के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों को ध्यान में रख कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाय।

7. निगम 1969 से कार्यरत है किन्तु अभी तक 33 स्वीकृत पद रिक्त हैं। इन स्वीकृत पदों को नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति से नहीं भरा जा सका है। पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण निगम के कार्यों में व्यवधान उपस्थित होना स्वाभाविक है। जिन कार्यों के सम्पादन हेतु उक्त पदों का सृजन हुआ था, उन्हें भर कर कार्य सम्पादन करना निगम का कर्त्तव्य था। समिति सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती है कि किस परिस्थिति में अब तक 33 स्वीकृत पदों को रिक्त रखा गया है। अभी तक रिक्त पद रखने का क्या औचित्य है तथा उसमें किसकी गैर जिम्मेवारी रही है। समिति की सिफारिश है कि सरकार और निगम मिल कर शीघ्र रिक्त पदों को भरें, जिससे निगम का कार्य सुचारु रूप से चल सके।

निगम के कार्य-कलाप।

8. आदिवासी क्षेत्र में बिहार राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लि० आदिवासियों के विकास कार्य में लगा हुआ है और इसका निबन्धित कार्यालय रांची में है। निगम के माध्यम से वन श्रमिक सहयोग समितियों के संगठन, पुनर्गठन, नियन्त्रण, पर्यवेक्षण के साथ-साथ उन्हें आर्थिक सहायता देने का कार्य किया जा रहा है; इस निगम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

9. (1) वन श्रमिकों की सहकारी संस्थाओं तथा अन्य सहकारी संस्थाओं, जो आदिवासियों के विकास कार्य में संलग्न हैं, उनकी देख-रेख, मदद तथा तकनीकी निर्देश देना तथा उनके कार्यों को मजबूत आधार देना एवं समन्वय स्थापित करना

(2) छोटे-बड़े वन-उत्पादनों का विनिमय करना तथा ठीका लेना जिससे विचवलियों को समाप्त किया जा सके और आदिवासी श्रमिकों को सही मजदूरी मिल सके।

(3) आदिवासियों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिये उनके कृषि उत्पादनों को खरीद करना और उनको समुचित बाजार मूल्य देना।

(4) इस दृष्टि से आवश्यकतानुसार उनकी थोक खरीदारी करना और वितरण करना।

(5) कृषि एवं वन-उत्पादनों का स्तर निर्धारण करना तथा उनको बाजार के योग्य बनाना तथा इस कार्य के लिये ऐसे उद्योगों की स्थापना करना जिससे उन उत्पादनों को बाजार के योग्य बनाया जा सके या उनसे बाजार की मांग के अनुकूल वस्तुओं का निर्माण किया जा सके।

(6) ऋण लेना और जमा स्वीकार करना।

(7) आवश्यकतानुसार ऋण देना और दिलाने की व्यवस्था करना।

(8) किसी भी सहकारी संस्था की व्यवस्था अपने हाथ में लेना।

(9) किसी भी सहकारी संस्था का हिस्सा खरीदना।

(10) सहकारी संस्था की स्थापना के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसके लिये समुचित सुविधा प्रदान करना और आदिवासी लोगों के बीच सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने की दृष्टि से या अनुसंधान करने की दृष्टि से सुविधायें एवं छात्र वृत्तियां तथा पुरस्कार प्रदान करना।

(11) आदिवासियों से सम्बन्धित विकास कार्य करना। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपर्युक्त कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये इसी प्रकार के विभिन्न क्रिया-कलापों में लगाना।

10. निगम के कार्यों के सम्पादन हेतु बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर हैं, जिसमें 19 व्यक्ति हैं। कल्याण विभाग के सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं और अन्य विभाग के प्रतिनिधि एवं सहकारिता आन्दोलन से सम्बन्धित आदिवासी प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन तथा निगम की नीतियों एवं कार्यकलापों को पूरा करने की भार व्यवस्था-निदेशक के ऊपर है। व्यवस्था-निदेशक के अलावे सचिव एवं कार्यपालक पदाधिकारी हैं।

11. निगम का मुख्य काम आदिवासी सहकारी समितियों के माध्यम से आदिवासियों को आर्थिक लाभ पहुँचाना है। उनके विकास के लिये सहायता एवं निर्देशन देना है। सहकारी श्रमिक समिति के माध्यम से वन कूपों का आवंटन लेकर वन की कटाई का ठीका दिलाना है। निगम सहकारी समितियों को ऋण देने के साथ-साथ उन पर नियन्त्रण रखता है। निगम के शाखा कार्यालय दुमका, डालटेनगंज एवं रांची में हैं।

12. यदि कोई आदिवासी सहकारी समिति निगम से कर्ज लेना चाहती है तो उसे विहित प्रपत्र में निगम के प्रकरण कार्यालय में हिस्सा पूंजी को अंकित करते हुए आवेदन करना होता है, जितनी हिस्सा पूंजी होती है उसका दस गुणा ऋण निगम को सहकारी समिति को देने का प्रावधान है। निगम 9 प्रतिशत की दर से सूद पर कर्ज देता है। साधारणतः जून एवं जुलाई माह में कर्ज लौटा दिया जाता है तो 1½ प्रतिशत की छूट दी जाती है। महाजन से कर्ज लेने पर पूरे समय का सूद देना पड़ता है। राष्ट्रीयकृत बैंक से डी० आई० आर० स्कीम के अन्तर्गत ऋण सहकारी समितियों को प्राप्त नहीं होता है। निगम द्वारा भारत सरकार के योजनान्तर्गत आदिवासियों को कम सूद (4 प्रतिशत) पर ऋण देने का प्रावधान है। भारत सरकार के योजनान्तर्गत कमजोर वर्ग को कम सूद पर ऋण देने (4 प्रतिशत की दर से) की व्यवस्था हैं। उसके अनुसार निगम बैंक के पदाधिकारी तथा सरकार के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को ऋण दिलाने के सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करें।

13. समिति की राय में लघुन वन पदार्थों, कृषि उपज एवं लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के बाजार ढूंढने के सम्बन्ध में निगम को इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना जरूरी है। इससे इनके सामानों की पूर्त्ति होगी और उचित मूल्य मिलेगा तथा उनकी आर्थिक स्थिति में विकास होगा। समिति को निगम के प्रबन्ध निदेशक से विचार-विमर्श करने के सिलसिले में यह तथ्य समझने में आया कि निगम द्वारा अपने कार्यों के अलावे अन्य कार्य किये जा सकते हैं।

14. वन विभाग से बांस मिलने के बाद जो आदिवासी टोकरी बनाते हैं, सावे घास से रस्सी बनाते हैं तथा लाह निकालते हैं उसकी खरीद के लिये दूसरा कारपोरेशन है जिसका नाम बिहार स्टेट लैक कारपोरेशन है। फौरेस्ट डवलपमेंट कारपोरेशन साल बीज खरीदता है और इसका इसमें मोनोपोली मार्केट है। कुसुम, करंज, हर्रे, बहेरा आदि के लिये भी सरकार ने फौरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन को एजेंट के रूप में नियुक्त किया है ताकि इन चीजों का उचित मूल्य आदिवासियों को मिल सके। वन-सम्पदा पर आधारित अन्याय उद्योग-धंधे के कार्य वन पर आधारित उद्योग हो सकते हैं, जिसके लिये निगम को

कार्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहिये। निगम के प्रबन्ध निदेशक के अनुसार निगम आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयत्नशील है और आशा की जाती है कि आगे और भी ज्यादा इस दिशा में प्रगति संभव है। चिरौंजी की खरीदारी निगम ने शुरू कर दी है। पहले नमक से इसको बदला जाता था, जिससे आदिवासियों को बहुत कम बाजार दर मिलती थी। अब निगम ने चिरौंजी के लिये अधिक नमक देना शुरू किया है। निगम कोशिश कर रहा है कि अब इसका मूल्य नगद दिया जाय जिससे लोग दूसरी वस्तुयें खरीद सकें। इसके लिये बहुत-सी एजेंसीज हो गयी हैं। इससे लोगों में गलतफहमी हो जाती है और लोगों को सोचना पड़ता है कि किस काम के लिये किसके पास जाया जाय। समिति को यह विदित हुआ कि आदिवासियों द्वारा उत्पादित तथा अन्यान्य वन पदार्थों की तरह-तरह की सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद और सहायता की जाती है, जिसके कारण आदिवासी समझ नहीं पाते हैं कि कहां से किस वस्तु के लिये कैसे मदद ली जाय। इस सम्बन्ध में समिति की अनुशंसा है कि आदिवासी सहकारी विकास निगम लघु वन पदार्थों से सम्बन्धित सारे कार्य जो वन विकास निगम द्वारा किये जाते हैं, उन्हें अपने माध्यम से सम्पादित कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करे।

15. निगम के प्रबन्ध निदेशक ने निगम के कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में समिति को जानकारी दी कि वे सामाजिक कार्यकर्त्ता गांव में तैयार कर रहे हैं। इसके लिये दो तरह की स्कीमें बनायी गयी हैं। एक स्कीम में 15 दिनों का प्रशिक्षण तथा दूसरी स्कीम में चार महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे लोग ग्रामीणों को बतायेंगे कि सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें दी जा रहीं हैं। सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधा का प्रकार निगम द्वारा हैंड बिल से किया जाता है। ग्राम सभा बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है जिसके माध्यम से भी यह काम कराया जायेगा।

16. निगम के कार्यों को प्रचारित-प्रसारित करने की दिशा में कारगर कार्रवाई नहीं की गयी है जिससे आदिवासी क्षेत्र में लोग पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अतः समिति की सिफारिश है कि निगम के कार्यों को योजनाबद्ध रूप से प्रचारित एवं प्रसारित किया जाय।

17. निगम ने जंगल से कूप खरीदने हेतु तथा अन्यान्य व्यवसाय करने के लिये 60 समितियों को कर्ज दिया है। इन समितियों को 5,96,080.67 रु० ऋण दिया गया है जिसमें 4, 52, 520 रु० कर्ज सूद समेत वसूली हेतु लंबित है। बहुत-सी ऐसी समितियां हैं जिनमें निहित स्वार्थ के व्यक्ति आदिवासी के नाम पर चला रहे हैं तथा बहुत-सी समितियों की सिक्यूरिटी मनी कर्ज नहीं देने से समाप्त हो गयी है। समिति की अनुशंसा है कि निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों की समितियों को रद्द किया जाय तथा वास्तविक समितियों को कर्ज देने में चुस्ती रखी जाय जिससे उनकी सिक्युरिटी मनी खत्म न हो सके।

18. वन विभाग द्वारा 20 हजार रु० तक का कूप निगम की अनुशंसा पर देने का प्रावधान है, किन्तु वन विभाग द्वारा बहुत कम समितियों को ही वन कूप दिया जाता है। वन विभाग द्वारा भी समिति की जांच की जाती है, जिसके कारण कूप आवंटन में विलम्ब होता है या आवंटन ही नहीं होता है। समिति की अनुशंसा है कि यदि वन कूपों के आवंटन के समय समिति के विरुद्ध कोई शिकायत मिले या एकाउन्ट की गड़बड़ी पायी जाय तो निगम को भी सूचित करें और उनका मन्तव्य प्राप्त करें। साथ ही साथ किस समिति को कूप आवंटित किया गया है इसकी सूचना वन विभाग द्वारा निगम को समय-समय पर देने की कार्रवाई की जाय।

19. वन विभाग द्वारा आदिवासी वन श्रमिक सहयोग समितियों को वन कूपों के आवंटन की अल्पावधि सूचना (दो-तीन दिन पहले)देने की तथा सामान्य ठीकेदारों को काफी समय पूर्व सूचना देने की जानकारी समिति को मिली। यह भी शिकायत मिली कि वन श्रमिक सहयोग समितियों को आस-पास के वन कूपों का ठीका नहीं दिया जाता है और वन कूप देखने को कम समय दिया जाता है। समिति की अनुशंसा है कि आदिवासी वन श्रमिक सहयोग समितियों को 15 दिन पहले वन कूप देखने का समय दिया जाय और उन्हें लाभदायक वन कूप देने की व्यवस्था की जाय।

खंड 3

सिफारिशों का सारांश

क्रमांक	प्रतिवेदन की कंडिका	
1	5	समिति का मन्तव्य है कि श्रेणी (2) के शेष दो रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की प्रतिनियुक्ति की मांग निगम द्वारा सरकार से की जाय।
2	6	समिति का मन्तव्य है कि उक्त रिक्तियों को भरने की कार्रवाई की जाय। साथ ही साथ निगम के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों को ध्यान में रख कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाय।
3	7	समिति सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती है कि किस परिस्थिति में अब तक 33 स्वीकृत पदों को रिक्त रखा गया है। अभी तक रिक्त पद रखने का क्या औचित्य है तथा उसमें किसकी गैरजिम्मेवारी रही है।
4	7	समिति की सिफारिश है कि सरकार और निगम मिल कर शीघ्र रिक्त पदों को भरें, जिससे निगम का कार्य सुचारु रूप से चल सके।
5	14	समिति की अनुशंसा है कि आदिवासी सहकारी विकास निगम, लघु वन पदार्थों से सम्बन्धित सारे कार्य जो वन विकास निगम द्वारा किये जाते हैं, उन्हें अपने माध्यम से सम्पादित कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें।
6	16	समिति की सिफारिश है कि निगम के कार्यों को योजनाबद्ध रूप से प्रचारित एवं प्रसारित किया जाय।
7	17	समिति की अनुशंसा है कि निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों की समितियों को रद्द किया जाय तथा वास्तविक समितियों को कर्ज देने में चुस्ती रखी जाय, जिससे उनका सिक्युरिटी मनी खतम न हो सके।

क्रमांक।	प्रतिवेदन की कंडिका।	
8	18	समिति की अनुशंसा है कि यदि वन कूपों के आबंटन के समय समिति के विरुद्ध कोई शिकायत मिले या एकाउन्ट की गड़बड़ी पायी जाय तो निगम को भी सूचित करें और उनका मन्तव्य प्राप्त करें। साथ ही साथ किस समिति को कूप आवंटित किया गया है, इसकी सूचना वन विभाग द्वारा निगम को समय-समय पर देने की कार्रवाई की जाय।
9	19	समिति की अनुशंसा है कि आदिवासी वन श्रमिक सहयोग समितियों को 15 दिन पहले वन कूप देखने का समय दिया जाय और उन्हें लाभदायक वन कूप देने की व्यवस्था की जाय।

परिशिष्ट 1

बिहार राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम मर्यादित, रांची।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति की उप-समिति (3) की स्थल अध्ययन यात्रा।

विषय —बिहार राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लि०, रांची के कार्यरत पदाधिकारियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में प्रतिनिधित्व।

स्वीकृत।	वर्त्तमान बल।					अभ्युक्ति।
	अनु० जा०	अनु० जन०जा०	पिछड़ा	कुल	रिक्त	
1	2	3	4	5	6	7	8
वर्ग-i ..	1	..	..	..	..	1	..	अनु० जन० जाति-67
वर्ग-ii ..	5	1	2	..	..	3	2	अनु० जाति-33
वर्ग-iii ..	43	1	7	2	6	16	27	अनु० जाति-6 अनु० जन-जाति-44 पिछड़ा वर्ग-12.5 अन्य-37.5

वर्ग	..	19	1	10	4	..	15	4	अनु० जाति-7 अनु० जन-जाति-66.5 पिछड़ा वर्ग-26.5 अन्य-0
कुल	..	68	3	19	6	6	35	33	

वर्ग-i में एक पद जिसके विरुद्ध प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति होती है। प्रबन्ध निदेशक अब तक सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर आते रहे हैं। निगम की स्थापना वर्ष 1969 से अब तक नौ प्रबन्ध निदेशक प्रतिनियुक्ति हुए हैं। इस अवधि में चार प्रबन्ध निदेशक अनुसूचित जन-जाति के रहे हैं।

वर्ग-ii में निगम के शाखा के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी तथा निगम के सचिव के पद आते हैं। इस श्रेणी के सभी पदों पर पदस्थापना प्रतिनियुक्ति के आधार पर अब तक होती रही है। फिलहाल जैसा कि उपरोक्त सारणी में दर्शाया गया है, दो अनुसूचित जन-जाति तथा एक अनुसूचित जाति के पदाधिकारी पदस्थापित हैं। दो पद सम्प्रति रिक्त हैं।

वर्ग-iii तथा i में कर्मचारियों की नियुक्ति निगम द्वारा की जाती है।

सीताराम गोप,
प्रबन्ध निदेशक।
11-5-1981

परिशिष्ट 2

राज्य स्तर से भिन्न क्षेत्रीय एवं जिलों में होनेवाली नियुक्तियों का आरक्षित प्रतिशत।

क्रम सं०	प्रमंडल एवं जिले का नाम	अनुसूचित जाति।	अनुसूचित जन-जाति।
	पटना प्रमंडल।		
	पटना प्रमंडल	20	1
1	पटना	17	1
2	नालन्दा	17	..
3	गया	25	1
4	औरंगाबाद	25	..
5	नवादा	25	1
6	शाहाबाद	17	..
7	रोहतास	17	1
	तिरहुत प्रमंडल	14	1
8	सारण	11½	1
9	सीवान	11½	..
10	पूर्वी चम्पारण	14½	..
11	पश्चिमी चम्पारण	14½	1
12	मुजफ्फरपुर	16	..
13	सीतामढ़ी	16	..
14	वैशाली	17	..
15	दरभंगा	15	..
16	समस्तीपुर	15	..
17	मधुबनी	15	..

क्रम सं०	प्रमंडल एवं जिले का नाम			अनुसूचित जाति।	अनुसूचित जन-जाति।
	सहरसा प्रमंडल	..	..	15	3
18	पूर्णियां ..	..	..	11½	4
19	सहरसा ..	..	..	17	1
20	बेगूसराय	..	..	15½	..
	भागलपुर प्रमंडल	..	..	12	10
21	मंगेर ..	..	..	15½	2
22	भागलपुर	..	..	11	4
23	संथाल परगना	..	..	8	36½
	छोटानागपुर प्रमंडल	..	..	11	31
24	हजारीबाग	..	..	12½	11
25	गिरीडीह ..	..	..	12½	11
26	रांची ..	..	..	5	45
27	पलामू ..	..	..	25½	20
28	धनबाद ..	..	..	15½	11
29	सिंहभूम ..	..	..	4	45

वि०स०मु० (एल० ए०) 98—I—800—5-7-1982—क० तिवारी

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार पटना द्वारा मुद्रित
1982